न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 158 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. तगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट, निवासी अजबनगर शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.नीम्बाराम पुत्र रावताराम 2.रामाराम पुत्र रावताराम 3.रावताराम पुत्र मेघाराम जाति जाट, निवासी अजबनगर शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर मुकदमा संख्या 08 / 2017 अनवान तगाराम बनाम निम्बाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017।

उपस्थित

1. वकील श्री राऊराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेण्टगण स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 04.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त परिवार के सदस्य होने के नाते अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के माता पिता की संयुक्त कमाई से खेत खसरा संख्या 1145 / 9 रकबा 58.13 बीघा एवं खसरा संख्या 1144 / 9 रकबा 58.13 बीघा ग्राम अजबनगर (शिवकर) में रावताराम द्वारा क्रय किया गया है। रावताराम ने उक्त भूमि निम्बाराम व रामाराम के नाम क्रय की है उस वक्त तगाराम का जन्म नही हुआ था तगाराम का एक माह बाद जन्म हुआ है। अपीलांट का उक्त भूमि में जन्म से हक होता है कि अपीलांट को अपने कुदरती हक हिस्सा से वंचित नहीं किया जा सकता है अपीलांट का उक्त विवादग्रस्त आराजी में 1 / 3 हिस्सा निहित है तथा उसी माफिक कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट ने कैम्प कोर्ट में राजीनामा ईकबाली जबाव भी दे दिया था तथा दावा को स्वीकार कर लिया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट में दावा खारिज करने में बड़ी भूल की है। दावा बिना सुनवाई बयान लिये तथा वास्तविक व

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हकीकत को नजरअन्दाज कर जल्दबाजी में केम्प कोर्ट में फैसला किया गया है जो तथ्यों से परे खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त परिवार के सदस्य होने के नाते अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के माता पिता की संयुक्त कमाई से खेत खसरा संख्या 1145/9 रकबा 58.13 बीघा एवं खसरा संख्या 1144/9 रकबा 58.13 बीघा ग्राम अजबनगर (शिवकर) में रावताराम द्वारा क्रय किया गया है। रावताराम ने उक्त भूमि निम्बाराम व रामाराम के नाम क्रय की है उस वक्त तगाराम का जन्म नही हुआ था तगाराम का एक माह बाद जन्म हुआ है। अपीलांट का उक्त भूमि में जन्म से हक होता है कि अपीलांट को अपने कुदरती हक हिस्सा से वंचित नहीं किया जा सकता है अपीलांट का उक्त विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है तथा उसी माफिक कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट ने कैम्प कोर्ट में राजीनामा ईकबाली जबाव भी दे दिया था तथा दावा को स्वीकार कर लिया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट में दावा खारिज करने में बड़ी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री केम्प कोर्ट में दिनांक 08.06.2017 को पारित की गई थी जिसकी नकल प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 11.07.2017 को मांगी गई थी तथा नकल तैयार होकर दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त हुई है नकल प्राप्त होने की तारीख से तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील को पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर न कर गुणावगुण के आधार पर भी किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट के कथनों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट तथा रस्पोडेंट संख्या 01 व 02 रावताराम (रेस्पोडेंट संख्या 03) के पुत्र है तथा तीनों सहोदर है जो प्रस्तुत सजरे एवं उभयपक्ष की न्यायालय में उपस्थिति से संस्वीकृति तथा उपस्थित रावताराम तथा उनकी पत्नी पेंपोदेवी की हामी से निर्विवादित तथ्य है। वादग्रस्त भूमि इस कूटुम्ब की संयुक्त कमाई से परिवार के मुखिया पिता रावताराम के द्वारा तत्समय मौजूद नाबालिग दो पुत्रों (रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02) के नाम क्रय की गई है जबकि तीसरा पुत्र अपीलांट बाद में पैदा हुआ। अपीलांट का यह कथन रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी उपस्थित होकर स्वीकार किया जा चुका है। इस कथन के परीक्षण स्वरूप दोनों विक्रय विलेखों का अवलोकन किया गया। **प्रथम** विक्रय विलेख दीपसिंह वल्द अचलसिंह साकिन शिवकर तहसील बाड़मेर द्वारा "रामाराम वल्द रावताराम नाबालिग डमरी 18 साल का वली उसका पिता रावताराम वल्द मेगाराम जाट साकिन शिवकर के पक्ष में शिवकर के खेत खसरा संख्या 09 रकबा 179 में से 58.13 बीघा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख पंजीबद्ध दिनांक 05.08.1987 से किया गया। **द्वितीय** विक्रय विलेख दीपसिंह वल्द अचलसिंह साकिन शिवकर ने नीबाराम वल्द रावताराम नाबालिग 10 साल जरिये वली पिता रावताराम वल्द मेगाराम जाट साकिन शिवकर के पक्ष में खेत खसरा संख्या 09 रकबा 179 बीघा में से रकबा 58.13 बीघा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख पंजीबद्ध दिनांक 05.08.1987 में किया गया।

उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के कथनों की पुष्टि होती है। अपीलांट इस विक्रय के वक्त भी नाबालिग था। कुदरती वली पिता के द्वारा संयुक्त परिवार मे रहते अपनी आय से अपने दो नाबालिग पुत्रों के नाम क्रय की गई भूमिमें तत्समय तृतीय नाबालिग पुत्र का भी हक निहित है। उनका पारिवारिक बंटवाड़ा माफिक हिस्से में आई भूमि पर कब्जा काश्त एवं ढाणियां होना भी स्वीकार्य है। प्रस्तुत I.D. Proof के जरिये अपीलांट एवं रेस्पोडेंट तथा उनके पिता की व्यक्तिगत शिनाख्त की जाकर स्वीकारोक्ति की पुष्टि की गई परन्तु उनकी आयु के संबंध में उक्त दस्तावेज पुष्ट प्रमाण नहीं हो सकते।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा मौजा अजबनगर (शिवकर) के वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 1144/9, 1145/9 रकबा क्रमशः 58.13 बीघा, 58.13 बीघा में क्रमश उतरदाता संख्या 01 व 02 के साथ अपीलांट को 1/3 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner